संख्या-3/2019/144/12-5-2019-सा०-06/2018

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक:: 29 जनवरी, 2019**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 101-मृदा संरक्षण तथा परीक्षण, 04-प्रदेश के 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं की राइजोबियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-शो०एवंमृ०सर्वे०/2176/लेखा/पुनर्विनियोग 2018-19, दिनांक 31.12.2018 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण 101-मृदा संरक्षण तथा परीक्षण, 04-प्रदेश के 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं की राइजोबियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढ़ीकरण योजना के मानक मद 01-वेतन में रू० 4.41 लाख, 03-मंहगाई भत्ता में रू० 0.26 लाख, 06-अन्य भत्ता में रू० 0.57 लाख तथा 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) में रू० 0.55 लाख अर्थात कुल रू० 5.79 लाख (रू० पॉच लाख उन्नासी हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरित की जाए।

3- जिस मद में बचत बतायी गयी है चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में उस मानक मद में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी और न ही देयता सृजित की जायेगी।

4- उक्त स्वीकृत की जा रही धनरशि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 101-मृदा संरक्षण तथा परीक्षण, 04-प्रदेश के 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं की राइजोबियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढ़ीकरण योजना के मानक मद 09-विद्युत में होने वाली बचत को पुनर्विनियोग करते लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण 101-मृदा संरक्षण तथा परीक्षण, 04-प्रदेश के 9 जनपदीय भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं की राइजोबियम कल्चर उत्पादन हेतु सुदृढ़ीकरण योजना के मानक मद 01-वेतन, 03-मंहगाई, 06-अन्य भत्ता तथा 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) आदि पर व्यय के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह आदेश उक्त शासनादेशों में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

संख्या-3/2019/144(1)/12-5-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्न की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
5. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
7. गार्ड फाइल।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।